प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.04.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त तेजपाल सिंह जाटव पुत्र भीम सिंह निवासी वार्ड न0-9 गांव मिलक, विकास नगर थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष को शुक्र बाजार वाली रोड थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 03/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मै विकास नगर थाना क्षेत्र अंकुर विहार में रहता हूँ। यह तमंचा मैने लोगो में अपना दबदबा बनाने के लिये लिया था। पिछले कुछ दिनों से तमन्चे के साथ सोशल मीडिया में वायरल फोटो व वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो में ही हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तेजपाल सिंह जाटव पुत्र भीम सिंह निवासी वार्ड न0-9 गांव मिलक, विकास नगर थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 44 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल छिनैती करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से छीने गये 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

थाना मोदीनगर पर क्रमशः दिनांक 23.12.2024 व 07.01.2025 को वादीगणों द्वारा लिखित सूचना दी कि पैदल जाते वक्त अज्ञात लड़कों द्वारा मोबाइल फोन छीन लिये गये। इस सूचना पर तत्काल थाना मोदीनगर

पर धारा 304 बीएनएस में अभियोगों को पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 06.04.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आशीष कश्यप पुत्र हरेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम चुड़ियाला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को दौराने चैकिंग ओम स्वीट्स के पास थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल व छीने गये मोबाइल फोन बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनों दोस्त है। हमारे पास से जो 02 मोबाइल फोन बरामद हुए है वह मोबाइल हमने साथ मिलकर गोविन्दपुरी से राह चलते व्यक्तियों से झपट्टा मारकर ले गये थे, जिनको हम बेच नहीं पाये थे, जिस प्लैटिना मोटर साईकिल को मैं चला रहा था, वह मोटर साईकिल मेरे साथी के भाई की है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1.आशीष कश्यप पुत्र हरेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम चुड़ियाला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 19 बर्ष।

बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया

बरामदगी का विवरण-

छीने गये मोबाइल 02 फोन व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 प्लैटिना बरामद।

आपराधिक इतिहास-

उपरोक्त घटनाओ के संबंध में थाना मोदीनगर पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मकान पर अवैध कब्जा करने वाले 02 वांछित अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 05.04.2025 समय 10.35 बजे कन्ट्रोल रुम से सूचना प्राप्त हुयी कि कस्बा चौकी क्षेत्र में कुछ व्यक्ति एक घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट कर रहे व महिला को घर से बाहर निकाल दिया है। इस सूचना पर 112 व थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुँची तो जानकारी हुई कि प्रथम पक्ष आस मौहम्मद पुत्र तौसीफ निवासी मौहल्ला पक्का गोला तिराहा कस्बा व थाना मसूरी गाजियाबाद के घर पर विपक्षीगण फरमान आदि द्वारा आकर आस मौहम्मद उपरोक्त की पत्नी श्रीमती शहनाज उम्र करीब 70 वर्ष के साथ मारपीट की गई तथा विपक्षीगण अपने परिजनों व महिलाओं के साथ आस मौहम्मद उपरोक्त के घर में घुसकर अन्दर से लॉक कर लिया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आस मौहम्मद व विपक्षी साबिर के मध्य मकान की कब्जेदारी को लेकर विवाद है। जिसमें आस मौहम्मद ने साबिर आदि के विरुद्ध पूर्व में अपने मकान के फर्जी पेपर तैयार कर अपने लड़को को बैनामा करने जैसे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी जांच एण्टी फ्राड सेल

से हुई एवं आस मौहम्मद के आरोप सत्य पाते हुए आस मौहम्मद की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 30/25 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है तथा दिनांक 05.04.2025 को विपक्षीगण आस मौहम्मद उपरोक्त के घर में पुनः घुसे और आस मौहम्मद की पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया, उक्त घटना के सम्बन्ध में आस मौहम्मद उपरोक्त द्वारा तहरीर दी गई है जिसके आधार पर मु0अ0सं0 93/25 धारा 93/2025 धारा 191(2)/115(2)/329(3) 352/351(3)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1-फरमान पुत्र साबिर निवासी ग्राम मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष
2-जुबैर पुत्र रियाज निवासी ग्राम ललयाना थाना किठौर जिला मेरठ, उम्र करीब 50 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभि0 फरमान उपरोक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी का थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त घटना के सम्बध मे अभियुक्त गण पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0- 93/2025 धारा 191(2)/115(2)/329(3) 352/351(3)/324(4) बीएनएस पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 05.04.2025 को वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से 02 मोबाइल, रुपये तथा एक जोडी सोने की झुमकी चोरी कर ले जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल मु0अ0सं0 176/25 धारा 305A बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त बिरजू मंडल पुत्र कालू मंडल निवासी किराये का मकान गढी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम भूतनी थाना बालूपुर जिला मालदा पश्चिम बंगाल उम्र 20 वर्ष को गढी जस्सी गेट के पास चौकी पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन VIVO/सैमसंग कम्पनी बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब यह दोनों मोबाइल व कुछ नगद रूपये व एक जोडी झुमकी को मैंने मौका पाकर रात्रि में भागमल वाटिका के पास गली के मकान के अन्दर से चोरी किया था। चोरी किये गये रूपये व सोने की झूमकी के बारे मे पूछा गया तो बताया कि मैने रूपयों को अपने शौक में खर्च कर दिये व सोने की झूमकी चोरी करके आते समय जेब से रास्ते में कही गिर गयी थी। आज मैं इन फोन को बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस ने मुझे को पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

बिरजू मंडल पुत्र कालू मंडल निवासी किराये का मकान गढी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम भूतनी थाना बालूपुर जिला मालदा पश्चिम बंगाल, उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 अदद मोबाइल फोन VIVO/सैमसंग कम्पनी

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है, वह अपनी ट्यूशन वाली मैडम के पास, कृष्णानगर बागू में ट्यूशन पढने के लिए गयी थी, वहां पर उसकी ट्यूशन टीचर की गैर मौजूदगी में ट्यूशन टीचर के पति करण सिंह द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी है, इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 75(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग में नामित अभियुक्त करण सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 07.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लडकी से छेडछाड की घटना कारित करने वाले अभियुक्त करण सिंह पुत्र महिलाल सिंह निवासी लट्ठमार कालोनी निकट डीसी ग्लोवल पब्लिक स्कूल थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष को लट्ठमार कालोनी कृष्णानगर बागू थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार कर, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर छेडछाड की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि पीडिता मेरी पत्नी से करीब डेढ वर्ष से ट्यूशन पढने आती है। दिनांक 05.04.2025 को पीडिता हमारे घर ट्यूशन पढने के लिए आयी थी, मेरी पत्नी उस समय घर पर मौजूद नही थी, जिसका मेने फायदा उठाकर पीडिता के साथ छेडछाड की घटना को अंजाम दिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

करण सिंह पुत्र महिलाल सिंह निवासी लट्ठमार कालोनी निकट डीसी ग्लोवल पब्लिक स्कूल थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीडिता से छेडछाड के सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से संदिग्ध 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06.04.2025 को वादी ऋषिपाल पुत्र श्री रामपाल निवासी सी-21/141 गली नं0-05 नियर एसटी मार्कस पब्लिक स्कूल हर्ष विहार दिल्ली द्वारा लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को आर्शिवाद ग्रीन फार्म हाउस के बाहर गेट के पास थाना टीलामोड़ से चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना मैनुअल इनपुट,सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 07.04.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त सोहनपाल पुत्र दिलीप निवासी एफ-36 गली नं0 06 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को कोयल एंन्कलेव में मेट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के सामने तिकोना पार्क के पास थाना टीलामोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से संदिग्ध 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त सोहनपाल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2),317(5) की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सोहनपाल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सोहनपाल से बरामद मोटर साइकिल को दिनांक 05.04.2025 को आर्शिवाद ग्रीन फार्म हाउस के बाहर गेट के पास थाना टीलामोड़ से चोरी किया था। जिसे आज दिनांक 07.04.2025 को बेचने की फिराक में कोयल एनक्लेव में मेट्रो प्रोजेक्ट वाली बिल्डिंग के सामने तिकोना पार्क के पास खड़े राह चलते व्यक्तियों का इन्तजार कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोहनपाल पुत्र दिलीप निवासी एफ-36 गली नं0 06 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से संदिग्ध 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सोहनपाल के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग व थाना जीटीबी एनक्लेव दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।